

जाति संशोधन हेतु आवेदन पत्र

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

2024/298 ✓

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत ।


महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी श्री रूपी
पिता माण्ड जाति बैरवा निवासी दीसा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला
हूँ। प्रार्थी की जाति ग्राम दीसा पटवार मण्डल दीसा के खाता संख्या 683 में चमार
दर्ज है जबकि मेरी वास्तविक जाति बैरवा है।
राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज.-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

()

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री रूपी पिता माण्ड की
ग्राम दीसा प0म0 दीसा के खाता संख्या 683 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की
वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा
करें।


पटवारी दीसा 23-8-2022
भू0अ0न0
वृत्त दीसा


रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री रूपी पिता माण्ड की
ग्राम दीसा प0म0 दीसा के खाता संख्या 683 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की
सिफारिश की जाती है ।

तहसीलदार दीसा
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिप्राय के प्रार्थी
श्री रूपी पिता माण्ड की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम दीसा
प0म0 दीसा के राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 683 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश
दिया जाता है। अतः तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावें।


उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

233
224/22
24/6/22